

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1529]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 1529]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2016

सं. 46/2016

आय-कर

का.आ. 2142(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 115नख के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में यथापरिभाषित किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा प्राप्त उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (23घक) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों पर कोई कटौती नहीं की जाएगी।

2. ये अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 46/2016/फा.सं. 275/16/2016-आईटी(बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव